2902/33-2-23

संख्या–3103(2)/33–1–2023

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उ0प्र0 लखनऊ।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0।
4. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–1 — लखनऊ : दिनाँक : 12 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2023

विषयः–मानव सम्पदा पोर्टल के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र दिनांक 07.11.2023 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री के पत्र संख्या–1048/चौतीस–लो0शि0–5/2023, दिनांक 31.10.2023 की प्रति संलग्न करते हुए पत्र में अपेक्षित निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है :–

(1) माह दिसम्बर, 2023 का वेतन जो 01 जनवरी, 2024 को देय होगा, वह मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाए।

(2) सर्विस बुक को मानव सम्पदा पोर्टल पर ई–सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी प्रकार के अवकाश एवं ए0सी0पी0 आदि अन्य सेवा सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण, दिनांक 01 जनवरी, 2024 से मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए।

(3) वर्ष 2023–24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल की जाए।

(4) स्थानान्तरण की स्थिति में कार्यमुक्त किए जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही की जाए।

2– शासन के उक्त पत्र के कम में की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति अभी तक अप्राप्त है। तत्कम में प्रमुख संचिव, सचिवालय प्रशासन अनुभाग–13 का पत्र दिनांक 06.11.2023 प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री के पत्र दिनांक 31.10.2023 में की गयी अपेक्षित कार्यवाही को तिथिवद्ध रूप से अनुपालन कराये जाने हेतु अनुस्मारित कराया गया है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर, अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति प्राथमिकता पर शासन को विलम्बतम एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

12.12.2023

G-Gn I

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अनुभाग अधिकारी(इरला) को पंचायती राज विभाग में कार्यरत सचिवालय सेवा के अनु सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव के संबंध में उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने के आशय से प्रेषित।
2. अनुभाग अधिकारी, ग्राम्य विकास (लेखा) अनुभाग को पंचायत विभाग में कार्यरत अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कम्प्यूटर सहायक एवं अनुसेवक के संबंध में उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने के आशय से प्रेषित।
3. अनुभाग अधिकारी, पंचायतीराज अनुभाग–2 को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

DELL G-Go I

1378192